

राजस्थान सरकार  
गृह (ग्रुप-9) विभाग

क्रमांक : प.20(2)गृह-9/88

दिनांक :

अधिसूचना

यतः राज्य सरकार की यह राय है कि राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की समस्त सेवाओं, कार्यालयों एवं उनके किया कलापों जिसमें लेबोरेट्री टेक्नीशियन की सेवाएँ भी सम्मिलित हैं, में हड़ताल होने/सामूहिक अवकाश या अन्य प्रकार से सेवाओं के प्रदाय नहीं किये जाने से ऐसी सेवाओं के प्रदाय एवं अनुरक्षण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा एवं इसके परिणामस्वरूप जन समुदाय को भारी कठिनाई का सामना करना पड़ेगा।

अतः अब राजस्थान अत्यावश्यक सेवाएँ अनुरक्षण अधिनियम 1970 (1970 का राजस्थान अधिनियम संख्या 22) की धारा 2 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के उपखण्ड (iv) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये राज्य सरकार तुरन्त प्रभाव से राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की समस्त सेवाओं, कार्यालयों एवं उनके किया कलापो से सम्बन्धित समस्त सेवाओं को एतद्द्वारा अत्यावश्यक सेवा घोषित करती है। यह आदेश आगामी 03 माह तक प्रभावी रहेंगे।

राज्यपाल की आज्ञा से

ह/0

सीमा कुमार

शासन उप सचिव,

प्रतिलिपी निम्नलिखित का वास्ते सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं :-

1. निजी सचिव, सचिव, माननीय राज्यपाल महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, गृह विभाग।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान जयपुर।
5. महानिदेशक, पुलिस राजस्थान, जयपुर।
6. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
7. समस्त महानिरीक्षक, पुलिस रेंज, राजस्थान/पुलिस आयुक्त, जयपुर/जोधपुर।
8. समस्त जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, राजस्थान।
9. समस्त जिला पुलिस अधीक्षक/पुलिस उपायुक्त, राजस्थान।
10. निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, राजस्थान जयपुर।
11. निदेशक, मुद्रण एवं लेखनप सामग्री विभाग, जयपुर को दिनांक 08.09.2017 के राजपत्र में प्रकाशनार्थ।
12. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान जयपुर।
13. रक्षित पत्रावली।

ह/0

शासन उप सचिव,

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएँ, राजस्थान जयपुर

क्रमांक : ई-33/ले.टे./ (एफ- लूज )/2017/605

दिनांक : 08 सितम्बर, 2017

प्रतिलिपी निम्नलिखित का वास्ते सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं :-

1. विशिष्ट सहायक, मा.मंत्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, मा.राज्यमंत्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान जयपुर।
4. समस्त प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, आयुर्विज्ञान महाविद्यालय, राजस्थान।
5. समस्त संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, संभाग।
6. समस्त अधीक्षक, संलग्न चिकित्सालय समूह, राजस्थान।
7. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/प्रमुख चिकित्सा अधिकारी।
8. समस्त खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी/चिकित्सा अधिकारी प्रभारी।
9. आदेश/रक्षित पत्रावली।

( राकेश शर्मा )

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ,

राजस्थान जयपुर